

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्रांक: 3/कृषि-बजट-आवंटन-45/2013-14 (आवंटन) कृ०, पटना

दिनांक: 27 जनवरी, 2014

प्रेषक,

विवेक कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

पुर्णिया/मुजफ्फरपुर/सहरसा/पटना/कटिहार/समस्तीपुर/मधेपुरा/वैशाली/सुपौल
/शिवहर/कैमूर/बेगूसराय/अररिया/भागलपुर/सारण/गोपालगंज/भोजपुर/
खगड़िया/रोहतास/नालन्दा/गया/सीवान/औरंगाबाद/मधुबनी/बक्सर/लखीसराय
/जहानाबाद/मुंगेर/शेखपुरा/अरवल।

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में गैर-योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245/प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-114-कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष-0001-कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) विपत्र कोड-N2245021140001 में कुल रु० 1,21,16,16,000.00 (एक अरब इक्कीस करोड़ सोलह लाख सोलह हजार रुपये) का उप-आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कृषि विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-मो०-66/13 (सांख्यिकी)-294 दिनांक: 23.01.2014 द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के पत्रांक: 1/प्रा०आ०-0-3-32/13-96 (स०अनु०)/आ०प्र० दिनांक: 02.01.2014 से मुख्य बजट शीर्ष-2245/ प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-114-कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष-0001-कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) विपत्र कोड-N2245021140001 में उपलब्ध कराये गये राशि मो० 1,21,16,16,000.00 (एक अरब इक्कीस करोड़ सोलह लाख सोलह हजार रुपये) को जिलावार कर्णांकित किया गया है। जिलावार कर्णांकित राशि को व्यय हेतु निम्न प्रकार उप-आवंटित किया जाता है:-


क्र० सं०	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कर्णांकित राशि (रु० में)	उप-आवंटित राशि (रु० में)
1	पुर्णिया	जिला पदाधिकारी, पुर्णिया	34,28,84,000.00	34,28,84,000.00
2	मुजफ्फरपुर	जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	27,19,13,000.00	27,19,13,000.00
3	सहरसा	जिला पदाधिकारी, सहरसा	11,88,67,000.00	11,88,67,000.00
4	पटना	जिला पदाधिकारी, पटना	10,91,47,000.00	10,91,47,000.00
5	कटिहार	जिला पदाधिकारी, कटिहार	7,65,61,000.00	7,65,61,000.00
6	समस्तीपुर	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर	4,68,57,000.00	4,68,57,000.00
7	मधेपुरा	जिला पदाधिकारी, मधेपुरा	3,98,35,000.00	3,98,35,000.00
8	वैशाली	जिला पदाधिकारी, वैशाली	3,74,59,000.00	3,74,59,000.00
9	सुपौल	जिला पदाधिकारी, सुपौल	2,65,83,000.00	2,65,83,000.00
10	शिवहर	जिला पदाधिकारी, शिवहर	2,28,57,000.00	2,28,57,000.00

11	कैमूर	जिला पदाधिकारी, कैमूर	2,18,82,000.00	2,18,82,000.00
12	बेगूसराय	जिला पदाधिकारी, बेगूसराय	1,67,08,000.00	1,67,08,000.00
13	अररिया	जिला पदाधिकारी, अररिया	1,54,26,000.00	1,54,26,000.00
14	भागलपुर	जिला पदाधिकारी, भागलपुर	1,40,28,000.00	1,40,28,000.00
15	सारण	जिला पदाधिकारी, सारण	93,30,000.00	93,30,000.00
16	गोपालगंज	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज	73,19,000.00	73,19,000.00
17	भोजपुर	जिला पदाधिकारी, भोजपुर	63,22,000.00	63,22,000.00
18	खगड़िया	जिला पदाधिकारी, खगड़िया	61,00,000.00	61,00,000.00
19	रोहतास	जिला पदाधिकारी, रोहतास	52,69,000.00	52,69,000.00
20	नालन्दा	जिला पदाधिकारी, नालन्दा	37,26,000.00	37,26,000.00
21	गया	जिला पदाधिकारी, गया	22,21,000.00	22,21,000.00
22	सीवान	जिला पदाधिकारी, सीवान	21,93,000.00	21,93,000.00
23	औरंगाबाद	जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद	15,82,000.00	15,82,000.00
24	मधुबनी	जिला पदाधिकारी, मधुबनी	21,74,000.00	21,74,000.00
25	बक्सर	जिला पदाधिकारी, बक्सर	18,88,000.00	18,88,000.00
26	लखीसराय	जिला पदाधिकारी, लखीसराय	8,73,000.00	8,73,000.00
27	जहानाबाद	जिला पदाधिकारी, जहानाबाद	8,52,000.00	8,52,000.00
28	मुंगेर	जिला पदाधिकारी, मुंगेर	5,24,000.00	5,24,000.00
29	शेखपुरा	जिला पदाधिकारी, शेखपुरा	1,90,000.00	1,90,000.00
30	अरवल	जिला पदाधिकारी, अरवल	45,000.00	45,000.00
कुल (रुपये में)–			1,21,16,16,000.00	1,21,16,16,000.00

(एक अरब इक्कीस करोड़ सोलह लाख सोलह हजार रुपये)

- इस उप-आवंटित राशि की निकासी मुख्य बजट शीर्ष-2245/प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-114-कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष-0001-कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) विपत्र कोड-N2245021140001 माँग संख्या-39 विषय शीर्ष-3106-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा के अंतर्गत मूल बजट तथा द्वितीय अनुपूरक आगनन द्वारा उपबन्धित राशि से वित्तीय वर्ष 2013-14 में की जायेगी।
- वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में राशि आवंटित है।
- विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-मो०-66/13 (सांख्यिकी)- 294 दिनांक: 23.01.2014 एवं आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के पत्रांक: 1/प्रा०आ०-0- 3-32/13-96 (स०अनु०)/आ०प्र० दिनांक: 02.01.2014 में उल्लिखित शर्तों एवं निदेशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाये, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- व्यय के पश्चात् व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।
- व्यय के पश्चात् अवशेष राशि निर्धारित समय-सीमा के अन्दर निश्चित रूप से प्रत्यार्पित कर दिया जाय।

विश्वासभाजन,


(विवेक कुमार सिंह)


सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक: 225(आवंटन)/कृ०, पटना

दिनांक: 27 जनवरी, 2014

प्रतिलिपि:


1. महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक: 225(आवंटन)/कृ०, पटना

दिनांक: 27 जनवरी, 2014


प्रतिलिपि: कृषि निदेशक/निदेशक, पी०पी०एम०/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संयुक्त कृषि निदेशक/जिला कृषि पदाधिकारी/उप-कृषि निदेशक (सांख्यिकी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक: 225(आवंटन)/कृ०, पटना

दिनांक: 27 जनवरी, 2014


प्रतिलिपि: आपदा प्रबंधन विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक: 225(आवंटन)/कृ०, पटना

दिनांक: 27 जनवरी, 2014

प्रतिलिपि: आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल भेजने हेतु प्रेषित।


सरकार के प्रधान सचिव।